>

Title: Need to fill the vacant posts of teachers in the country.

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): सभापति महोदय, शिक्षा के अधिकार का कानून हंगामेदार तरीके से वर्ष 2010 में लागू हुआ, लेकिन इसके क्रियान्वित होने से पहले ही यह हर जगह दम तोड़ रहा है। बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात तो दूर, उनके लिए स्कूल तक भी नहीं खुल पा रहे हैं। स्कूल खोलने के नाम पर सरकारों का ठंडा रवैया कहीं मुद्दा नहीं बन पा रहा है। राइट टू एजुकेशन के दुरस्त अमल की बड़ी जरूरत है। शिक्षकों की भर्ती के मामले में भी राज्यों का रवैया सुस्त है। शिक्षा के क्षेत्र का दूसरा संकट शिक्षकों की कमी है, इसलिए इसे शीघ्र दूर किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सहित राजस्थान, यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि सभी जगह शिक्षकों की कमी है। महाराष्ट्र में शिक्षकों के 41,434 रिक्त पदों में से 26 हजार से ज्यादा पद अभी भी खाली पड़े हैं। राजस्थान में कुल मंजूर 1,14,132 पदों में से अभी भी 19,931 पद खाली हैं। पंजाब में 14,090 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन 4,396 पद अभी भी खाली हैं। बिहार में कुल 4 लाख 3 हजार से ज्यादा पदों में से 2 लाख 11 हजार से ज्यादा पद अभी भी रिक्त हैं।

महोदय, राइट टू एजुकेशन अमल में आने पर देश भर में शिक्षकों की भर्ती को सबसे ज्यादा जरूरी कदम बताया गया था। ...(व्यवधान) लेकिन शिक्षकों की इतनी रिक्तियों को देखते हुए हालात बताते हैं कि शिक्षा के अधिकार का कानून किस तरह से धीमी गति से चल रहा है।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि शिक्षकों की रिक्तियां शीघ्र ही भरी जाये, ताकि शिक्षा के अधिकार का कानून पूर्णतया अमल में आ सके।